ए.

मनेन्द्र प्रसाद तिवारी

बनाम

अमित कुमार तिवारी और एएनआर।

(2022 की आपराधिक अपील संख्या 1210)

बी.

12 अगस्त, 2022

[डॉ**.** धनंजय वाई चंद्रचूड़ और जे**.** बी**.** पारदीवाला**,** जे**.** जे**.]**

दंड संहिता, 1860 -s.376-यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (पॉक्सो)-एस. एस.5 और 6-दंड प्रक्रिया संहिता, 1973।397, 482 – अभियुक्त का निर्वहन-'एक्स', एक बच्चे को जन्म दिया और उसके बाद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली-आईपीसी की धारा 376 के तहत दंडनीय अपराध के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई और प्रत्यर्थी के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम के प्रावधान-विशेष न्यायाधीश ने प्रत्यर्थी के खिलाफ उपर्युक्त अपराधों के लिए आरोप तय किए-अभियुक्त ने आपराधिक संशोधन दायर करके आरोप तय करने के आदेश की वैधता और वैधता पर सवाल उठाया कि मृतक और अभियुक्त एक-दूसरे के लिए अंतरंगता विकसित कर चुके थे और एक रिश्ते में थे-उच्च न्यायालय ने आपराधिक संशोधन याचिका की अनुमति दी और अभियुक्त को आरोपों से मुक्त कर दिया-उच्च न्यायालय ने अभियुक्त को प्राथमिकी दर्ज करने में देरी के आधार पर बलात्कार के अपराध के आरोप से मुक्त कर दिया-अपील पर कहा गया:उच्च न्यायालय ने मृतक की उम्र के संबंध में कोई विशिष्ट निष्कर्ष दर्ज नहीं किया-आरोप को रद्द करने की प्रार्थना करने वाले मामले में, उच्च न्यायालय द्वारा अपनाया जाने वाला सिद्धांत यह होना चाहिए कि यदि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत पूरे साक्ष्य पर विश्वास किया जाए, तो क्या यह एक अपराध होगा या नहीं-आरोप तय करना एक ऐसा चरण नहीं है, जिस स्तर पर अपराध का अंतिम परीक्षण लागू किया जाना है-अदालत को आदेश में तब तक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जब तक कि यह मानने के लिए मजबूत कारण न हों कि न्याय के हित में और अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग से बचने के लिए आरोपी के खिलाफ बनाए गए आरोप को रद्द करने की आवश्यकता है-मृतक की उम्र के बारे में उच्च न्यायालय का निष्कर्ष और साक्ष्य का समय से पहले मूल्यांकन होने के अलावा प्राथमिकी दर्ज करने में देरी के संबंध में भी,

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

174 ए.

175

महेंद्र प्रसाद तिवारी बनाम अमित कुमार तिवारी और ए. एन. आर.

अपील को अनुमति देते हुए, यह न्यायालय

यह अभिनिर्धारित किया कि **-1.** मुख्य रूप से उच्च न्यायालय के समक्ष यह तर्क दिया गया था कि अपराध करने की तारीख को, मृतक बालिग थी और अपनी स्वतंत्र इच्छा और इच्छा पर आरोपी के साथ संबंध में थी।अभियुक्त के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि उसने कोई अपराध किया है जैसा कि आरोप लगाया गया है।आश्चर्य की बात यह है कि राज्य ने भी कुछ हद तक उच्च न्यायालय के समक्ष अभियुक्त की ओर से प्रचार किए गए निवेदन का समर्थन किया।ध्यान देने योग्य बात यह है कि यद्यपि उच्च न्यायालय ने मृतक की आयु के संबंध में प्रस्तुतियों को दर्ज करने के उद्देश्य से दो पूर्ण पैराग्राफ समर्पित किए हैं, फिर भी अंततः उच्च न्यायालय द्वारा उस संबंध में कोई विशिष्ट निष्कर्ष दर्ज नहीं किया गया है।उच्च न्यायालय पूरी तरह से एक अलग आधार पर आगे बढ़ा।उच्च न्यायालय ने इस आधार पर अभियुक्त को सभी आरोपों से मुक्त करना उचित समझा कि प्राथमिकी दर्ज करने में देरी हुई थी और मृतक के माता-पिता द्वारा प्रस्तुत किया गया पूरा मामला संदिग्ध था।उच्च न्यायालय का विवादित आदेश पूरी तरह से समझ से बाहर है।इस अदालत को अभी तक ऐसा मामला नहीं मिला है जिसमें उच्च न्यायालय ने प्राथमिकी दर्ज करने में देरी के आधार पर बलात्कार के अपराध के आरोपी को आरोपमुक्त करने के लिए उचित समझा है। **[**पारस **19** और **20] [189-**एच**; 190-**ए-सी**]**

बी.

सी.

डी.

2. कानून अच्छी तरह से तय है कि हालांकि यह उच्च न्यायालय के लिए खुला है जो निचली विचारण न्यायालय द्वारा बनाए गए आरोपों को रद्द करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा **482** के तहत एक याचिका या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा **397** के तहत एक पुनरीक्षण आवेदन पर विचार कर सकता है**,** फिर भी यह सबूत की शुद्धता या पर्याप्तता का वजन करके नहीं किया जा सकता है।आरोप को निरस्त करने की प्रार्थना करने वाले मामले में**,** उच्च न्यायालय द्वारा अपनाया जाने वाला सिद्धांत यह होना चाहिए कि यदि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत पूरे साक्ष्य पर विश्वास किया जाना है**,** तो क्या यह बाड़ का गठन करेगा या नहीं।आरोप तय करने के समय उत्पादित सामग्री की सच्चाई**,** दक्षता और स्वीकार्यता केवल परीक्षण के चरण में ही की जा सकती है।इसे और अधिक संक्षिप्त रूप से रखने के लिए**,** आरोप के स्तर पर न्यायालय को केवल इस दृष्टि से सामग्री की जांच करनी है कि आरोपी व्यक्ति के खिलाफ कथित अपराध करने का प्रथम दृष्टया मामला बनाया गया है।यह भी अच्छी तरह से तय किया गया है कि जब अभियुक्त द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा **482** के तहत याचिका दायर की जाती है या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा **401** सहपठित धारा **397** के तहत पुनरीक्षण याचिका दायर की जाती है।

ई.

एफ.

जी.

एच.

ए.

उसके विरुद्ध बनाए गए आरोप को निरस्त करते हुए**,** न्यायालय को आदेश में तब तक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जब तक कि यह अभिनिर्धारित करने के लिए मजबूत कारण न हों कि न्याय के हित में और न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग से बचने के लिए अभियुक्त के खिलाफ बनाए गए आरोप को रद्द करने की आवश्यकता है।इस तरह का आदेश केवल असाधारण मामलों और दुर्लभ अवसरों पर ही पारित किया जा सकता है।यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि एक बार निचली न्यायालय ने किसी आरोपी के खिलाफ आरोप तय कर लिया है**,** तो मुकदमे को उच्च न्यायालय द्वारा अनावश्यक हस्तक्षेप के बिना आगे बढ़ना चाहिए और अभियोजन पक्ष के पूरे साक्ष्य को रिकॉर्ड में रखा जाना चाहिए।अभियोजन पक्ष के पूरे साक्ष्य के रिकॉर्ड में आने से पहले किसी आरोपी द्वारा आरोप को रद्द करने के किसी भी प्रयास पर असाधारण मामलों के बिना विचार नहीं किया जाना चाहिए।**[**पैरा **21] [190-**डी**-**एच**; 191-**ए**-**बी**]**

बी.

सी.

3. सी. आर. पी. सी. की धारा **397** के तहत हस्तक्षेप और अधिकार क्षेत्र के प्रयोग के दायरे को इस न्यायालय द्वारा बार-बार समझाया गया है।इसके अलावा, एक स्तर पर **397** सी. आर. पी. सी. के तहत हस्तक्षेप का दायरा, जब आरोप तय किया गया था, भी अच्छी तरह से तय किया गया है।आरोप तय करने के चरण में, न्यायालय का संबंध आरोप के सबूत से नहीं है, बल्कि उसे सामग्री पर ध्यान केंद्रित करना होगा और एक राय बनानी होगी कि क्या इस बात का दृढ़ संदेह है कि आरोपी ने कोई अपराध किया है, जो अगर मुकदमा चलाया जाए, तो उसका अपराध साबित हो सकता है।आरोप तय करना एक चरण नहीं है, जिस स्तर पर अपराध की अंतिम परीक्षा लागू की जानी है।इस प्रकार, यह अभिनिर्धारित करने के लिए कि आरोप तैयार करने के चरण में, अदालत को यह राय बनानी चाहिए कि अभियुक्त निश्चित रूप से अपराध करने का दोषी है, कुछ ऐसा अभिनिर्धारित करना है जो न तो अनुमेय है और न ही न्यायालय प्रक्रिया संहिता की योजना के अनुरूप है।सी. आर. पी. सी. की धारा **397** न्यायालय को किसी मामले में की गई किसी भी कार्यवाही या आदेश की वैधता और नियमितता के बारे में खुद को संतुष्ट करने के उद्देश्यों के लिए एक निचली न्यायालय के रिकॉर्ड की मांग और जांच करने की शक्ति प्रदान करती है।इस प्रावधान का उद्देश्य पेटेंट दोष या अधिकार क्षेत्र या कानून की त्रुटि या कार्यवाही में आई विकृति को ठीक करना है।जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, कानून की स्थिति को देखते हुए, उच्च न्यायालय के विवादित आदेश को विकृत और कानून में टिकाऊ नहीं कहा जा सकता है।हम अपराध के समय मृतक की सटीक और सही उम्र के संबंध में आगे कुछ भी देखने से बचते हैं जैसा कि आरोप लगाया गया है क्योंकि यह किसी न किसी तरह से पक्षों के लिए पूर्वाग्रह पैदा कर सकता है।

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

177

महेंद्र प्रसाद तिवारी बनाम अमित कुमार तिवारी और ए. एन. आर.

ए.

अभियोजन पक्ष के साथ-साथ बचाव पक्ष के नेतृत्व में साक्ष्य के आधार पर सही उम्र का निर्धारण करना निचली विचारण न्यायालय का काम है।इस मुकदमे की एक और परेशान करने वाली विशेषता यह है कि मृतक के दुर्भाग्यपूर्ण पिता को न्याय के लिए इस न्यायालय के समक्ष आना पड़ा।राज्य से उच्च न्यायालय द्वारा पारित अवैध आदेश को चुनौती देने की उम्मीद थी। कुछ अपवादों को छोड़कर, आपराधिक मामलों में जिस पक्ष को पीड़ित पक्ष माना जाता है, वह

राज्य है जो बड़े पैमाने पर समुदाय के सामाजिक हितों का संरक्षक है और इसलिए यह राज्य का काम है कि वह उस व्यक्ति को कानून के दायरे में लाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जिसने समुदाय के सामाजिक हितों के खिलाफ काम किया है।फिर भी एक और परेशान करने वाली विशेषता यह है कि निचली विचारण न्यायालय ने आरोपी के खिलाफ आई**.** पी**.** सी**.** की धारा **376** के तहत दंडनीय कथित अपराध यानी आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए आरोप तय नहीं करना उचित समझा।दुर्भाग्य से**,** किसी ने भी निचली विचारण न्यायालय के आदेश के उस हिस्से पर सवाल नहीं उठाया है जो आई**.** पी**.** सी**.** की धारा **376** के तहत दंडनीय आत्महत्या के लिए उकसाने के कथित अपराध के लिए आरोप तय करने से इनकार कर रहा है। **[**पारस **22,23,28** और **29] [191-**बी**-**ई**; 194-**जी**-**एच**; 195-**ए**-**सी**]**

बी.

सी.

डी.

अमित कपूर और रमेश चंदर **(2012) 9** एससीसी **460:[2012] 7** एस**.** सी**.** आर**. 988;** महाराष्ट्र राज्य बनाम सोमनाथ

थापा (1996) 4 एससीसी 659:[1996] 1 पूरक।एस. सी. आर. 189-निर्भर।

ई.

दिल्ली राज्य बनाम ज्ञान देवी (2000) 8 एस. सी. सी. 239:[2000]

4 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 270;** चित्रेश कुमार चोपड़ा बनाम राज्य **(**एन**.** सी**.** टी**.** दिल्ली सरकार**) (2009) 16** एस**.** सी**.** सी**. 605:[2009] 13** एस**.** सी**.** आर**. 230;** ठाकुर राम और अन्य बनाम राज्य

एफ.

बिहार (1966) सीआरआई एलजे 700-संदर्भित।संदर्भित निर्णय

[2000] 4 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 270** पैरा **21 [2012] 7** एस**.** सी**.** आर**. 988** को संदर्भित करता है।

पर भरोसा किया गया **|**

पैरा **24**

जी.

[2009] 13 एससीआर **230**

पैरा **26 [1996] 1** का उल्लेख किया गया है।एस**.** सी**.** आर**. 189** पैरा **27** पर निर्भर था।

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः2022 की आपराधिक अपील संख्या 1210।

एच.

178

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 13 एस सी आर।

ए.

2021 के सी. आर. आर. सं. 211 में जबलपुर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के दिनांकित 02.12.2021 के निर्णय और आदेश से।

सिद्धार्थ सिंह, अपीलार्थी के वकील।

सुश्री अंकिता चौधरी, उप महाधिवक्ता, स्वर्णेंदु चटर्जी, सुश्री प्रज्ञा पारिजात सिंह, हिमांशु नेलवाल, अंबुज तिवारी, सुश्री दीपाक्षी गर्ग, यशवर्धन सिंह, सनी चौधरी, मनोज, अधिवक्तागण उत्तरदाताओं के लिए।

बी.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

जे. बी. पारदीवाला, जे.

सी.

1. यह अपील, विशेष अनुमति द्वारा, मूल प्रथम सूचना देने वाले (मृतक के पिता) के कहने पर है और जबलपुर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा 2021 के आपराधिक संशोधन आवेदन संख्या 211 में पारित निर्णय और आदेश के खिलाफ निर्देशित है, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने आरोपी (प्रतिवादी संख्या 1) द्वारा दायर पुनरीक्षण आवेदन को अनुमति दी और इस तरह निचली विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश को अपास्त करना दिया, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (संक्षेप में, "आई. पी. सी".) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 (संक्षेप में, "पॉक्सो अधिनियम") की धारा 5 और 6 के जवाब के तहत दंडनीय अपराध के आरोपी के खिलाफ आरोप तय करता है और उसे आरोपमुक्त करता है।

डी.

ई.

फैक्ट मैट्रिक्स

2. इस मुकदमे के तथ्य काफी हृदय विदारक हैं और साथ ही, प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ. आई. आर.) के पंजीकरण में देरी के आधार पर अनिवार्य रूप से बलात्कार के अपराध के आरोपी को

आरोपमुक्त करने का उच्च न्यायालय का पूरी तरह से समझ से बाहर विवादित निर्णय अधिक परेशान करने वाला है।

एफ.

3. चूंकि यह मुकदमा आई. पी. सी. की धारा 376 और पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों के तहत दंडनीय अपराध के लिए दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ. आई. आर.) उद्भूत हुई है है, इसलिए इस न्यायालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पीड़ित की पहचान सुरक्षित है।ऐसी परिस्थितियों में, मृतक पीड़ित को 'एक्स' के रूप में संदर्भित किया जाएगा।

जी.

4. इसमें अपीलार्थी बांसती गाँव, पी. एस. रीवा, जिला रीवा का निवासी है।आज की तारीख में उनके परिवार के सदस्यों में उनकी पत्नी श्रीमती शामिल हैं। रानी तिवारी, तीन बेटे और एक बेटी।मृतक 'एक्स' पहले सूचना देने वाले की सबसे बड़ी संतान थी।मृतक ए

एच.

179

महेंद्र प्रसाद तिवारी बनाम अमित कुमार तिवारी और ए. एन. आर. [जे. बी. पारदीवाला, जे.] ए.

9 वीं कक्षा तक अध्ययन किया।सुबह 27.04.2020 पर, पहले सूचना देने वाले की पत्नी ने बताया कि 'X' (मृतक) के पेट में गंभीर दर्द था।पहले मुखबिर ने सोचा कि उसकी बेटी के पेट में ट्यूमर हो सकता है।पहला मुखबिर अपनी बेटी 'एक्स' (मृतक) को चिकित्सा उपचार के उद्देश्य से अपनी मोटरसाइकिल पर चकघाट स्थित हर्ष अस्पताल ले गया।वे लगभग 10.30 बजे अस्पताल पहुंचे।‘'एक्स' को अस्पताल के बाहर एक बेंच पर बिठाया गया।पहला मुखबिर डॉ. के. बी. शुक्ला से बात करने के लिए अस्पताल के अंदर गया।ऐसा प्रतीत होता है कि जब तक पहली मुखबिर और डॉ. के. बी. शुक्ला 'एक्स' में उपस्थित हो पाए, तब तक उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया।ऐसी परिस्थितियों में डॉक्टर ने अस्पताल में 'एक्स' को भर्ती करने से इनकार कर दिया। जैसे ही पहले सूचना देने वाले ने डॉक्टर के सामने लगातार गुहार लगाई, 'एक्स' को अंततः अस्पताल के एक मामूली ओटी में भर्ती कराया गया।ऐसा प्रतीत होता है कि इसके बाद 'एक्स' ने अस्पताल की एक महिला सफाईकर्मी, निर्मला साकेत से अनुरोध किया कि वह उसे अपने मोबाइल का उपयोग करने की अनुमति दे ताकि वह उसी गांव के निवासी अमित तिवारी (आरोपी) से बात कर सके।‘एक्स 'मोबाइल का उपयोग नहीं कर सका क्योंकि निर्मला के पास कोई शेष राशि नहीं बची थी।ऐसा प्रतीत होता है कि इसके बाद 'एक्स' ने अपने पिता के सामने खुलासा किया कि वह अमित तिवारी के माध्यम से गर्भवती हुई थी और चकघाट में किराए पर एक कमरा लेगी और अमित और नवजात शिशु के साथ जीवन जीना शुरू कर देगी।चूंकि 'एक्स' को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, इसलिए पहले मुखबिर को वित्त की व्यवस्था करनी पड़ी और ऐसी परिस्थितियों में वह पैसे की व्यवस्था करने के लिए अपने गांव चला गया।जब तक वह

दोपहर 3 बजे अस्पताल लौटे, तब तक डॉक्टर ने उन्हें सूचित किया कि उनकी बेटी 'एक्स' ने छत पर लगी ओटी लाइट की छड़ पर दुपट्टे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है।पहला मुखबिर कमरे के अंदर भागा और देखा कि उसकी बेटी 'एक्स' लटक रही थी और नवजात शिशु को उसी कमरे में एक ड्रेसिंग टेबल पर रखा गया था।पहले मुखबिर के अनुसार, उसकी बेटी 'एक्स' ने शर्म से आत्महत्या कर ली क्योंकि उसने अमित तिवारी (आरोपी) के माध्यम से गर्भवती एक अवैध बच्चे को जन्म दिया था।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

5. ऊपर उल्लिखित ऐसी परिस्थितियों में, पहले सूचना देने वाले ने पी. एस. चकघाट, जिला रीवा में एक एफ. आई. आर. दर्ज की, जो आई. पी. सी. की धारा 376 और 376 के जवाब और पॉक्सो अधिनियम की धारा 5 और 6 के जवाब के तहत दंडनीय अपराध के लिए एफ. आई. आर. संख्या 0064/2020 के रूप में दर्ज की गई।

जी.

6. एफ. आई. आर. दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की।पहले मुखबिर का आगे का बयान पुलिस द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 (संक्षेप में, "सीआरपीसी") के तहत दर्ज किया गया था।वही इस प्रकार पढ़ता हैः-

एच.

“...27.04.2020 पर सुबह मेरी पत्नी ने बताया कि 'X' पेट दर्द से पीड़ित है, मुझे लगता है कि उसके पेट में ट्यूमर है।जिस पर, मैं अपनी बेटी को पंजीकरण संख्या वाली अपनी मोटरसाइकिल पर हर्ष अस्पताल, चकघाट ले गया। यूपी 96 0200, होंडा सीडी, 100 उपचार के लिए।मैं लगभग 10 बजे हर्ष नर्सिंग होम पहुँचा।30 ए. एम. और मेरी बेटी 'एक्स' को बाहर बैठने के लिए कहा गया

बी.

....कि आई. डी. 1 पर भी मेरी बेटी ने अस्पताल की सफाईकर्मी निर्मला साकेत से फोन करके अस्पताल के डॉक्टर के माध्यम से फोन करने के बाद किसी से बात की थी, जिस पर मेरी बेटी

'एक्स' ने कहा कि मैंने अमित तिवारी से बात की, जो मेरे गांव का रहने वाला है, तो उसने कहा है कि हम चकघाट में एक कमरा लेकर साथ रहेंगे और जिस बच्चे को उसने जन्म दिया है, वह भी अमित का है अगर तुम यहाँ से जाओगी, तो अमित आएगा और यहाँ कमरा लेकर रहेगा।

सी.

डी.

...अमित तिवारी के अवैध बच्चे को जन्म देने के परिणामस्वरूप सार्वजनिक शर्म के कारण मेरी बेटी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है।इससे पहले मेरी बेटी ने मुझे कुछ नहीं बताया था।

7. पुलिस ने हर्ष नर्सिंग होम, बघेड़ी, पी. एस. चकघाट, रीवा के डॉ. कृष्णावतार शुक्ला का बयान भी दर्ज किया।वही इस प्रकार पढ़ता हैः-

ई.

" 27.04.2020 पर, लगभग 10 बजेः30 पी. एम., मेरी पहले रिहाई, मनेन्द्र प्रसाद तिवारी, निवासी बहेरा अपनी बेटी 'एक्स' तिवारी को पेट दर्द के कारण इलाज के लिए मेरे नर्सिंग होम ले गए और इस तरह उसे अस्पताल के बाहर टिन शेड के नीचे बैठा दिया, वह मेरे कक्ष में आया और इस तरह अपनी बेटी की जांच करने का अनुरोध किया, जिस पर, मानवीय आधार पर, लगभग आधे घंटे के बाद, जब मैं श्री के साथ क्लिनिक से बाहर आया। मानेंद्र तिवारी, उस समय रोगी कुमारी 'एक्स' का प्रसव हुआ था, जो सामान्य था और उसने एक बच्चे को जन्म दिया। जिन्हें मनेन्द्र तिवारी के अनुरोध पर दाई निर्मला साकेत के माध्यम से सफाई आदि के बाद ओटी कमरे में स्थानांतरित कर दिया गया था।27.04.2020 पर भी, रोगी किमी। 'एक्स' लाया, सफाईकर्मी निर्मला साकेत के माध्यम से उसके घर से बात करने के लिए मोबाइल फोन, जिस पर मैंने अपना मोबाइल फोन ए भेजा

एफ.

जी.

एच.

सफाईकर्मी के माध्यम से और उसने कहा कि मुझे नहीं पता कि उसने किससे बात की थी।फिर से 28.04.2020 पर लगभग 1 बजेः30 पी. एम. रोगी किमी. 'एक्स' फिर से अपने पिता से बात करने के लिए मोबाइल फोन लाया और लगभग 11 बजे गाँव चला गया थाः00 इसके बाद दोपहर करीब 3 बजेः00 पी एम।

...निर्मला साकेत ने मुझे बताया कि रोगी के. 'एक्स' किसी लड़के से बात कर रहा था।किमी. 'एक्स' ने एक अवैध बच्चे को जन्म देने के परिणामस्वरूप सार्वजनिक ढोंग के कारण फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।यह मेरा कथन है।"

बी.

8. पुलिस ने निर्मला हरिजन (दाई) का बयान दर्ज किया।वही इस प्रकार पढ़ता हैः-

सी.

"27.04.2020 पर, लगभग 10 बजेः30 दोपहर में, सुबह अपने पिता मनेन्द्र तिवारी के साथ 'एक्स' नाम की एक लड़की इलाज के लिए आई, और एक पिता ने बताया कि वह ट्यूमर से पीड़ित है और उन्होंने डॉक्टर साहब से बात करना शुरू कर दिया, और उन्होंने कुमारी 'एक्स' को अस्पताल के बाहर स्थित टिन के शेड के नीचे एक बेंच पर बैठने के लिए कहा।एक घंटे के बाद जब उक्त लड़की रोने लगी तो मैं उसके पास गया और देखा कि वह प्रसव दर्द से पीड़ित थी।जब मैं वहाँ पहुँचा तो बच्चा बाहर आया, जिस पर मैंने बच्चे को साफ किया और डॉ. साहब को सूचित किया।इसके बाद, डॉ. साहब के निर्देश पर, सबसे पहले मैं लड़की को एक कमरे में ले गया।उस कमरे में कोई अन्य मरीज मौजूद नहीं था।रात में, मैं उस कमरे में लड़की के साथ रहा। इसके बाद सुबह लड़की सीढ़ियों से नीचे आई जब मैं नीचे झाड़ू लगा रही थी तो लड़की ने कहा कि मैं ऊपर नहीं रहूंगी, अपने बच्चे को सीढ़ियों से नीचे ले आओ।जिस पर मैं बच्चे को नीचे ले गया और लड़की को दे दिया।इसके बाद, लड़की और उसके बच्चे को ओटी कमरे में स्थानांतरित कर दिया गया।इसके बाद, उसने मुझसे मोबाइल फोन की भीख माँगी, और पूछताछ करने पर, उसने यह नहीं बताया कि वह कहाँ बात करेगी।चूंकि, मेरे मोबाइल फोन पर कोई बैलेंस नहीं था क्योंकि

डी.

ई.

एफ.

जिसे, मैंने देने से इनकार कर दिया।इसके बाद जब मैंने डॉ. साहब को उक्त तथ्य बताया तो डॉ. साहब ने अपना मोबाइल दिया, जिस पर मैंने उस लड़की को वह फोन दिया, जो मोबाइल फोन पर बात कर रही थी, लेकिन मैंने नहीं सुना कि उसने कहाँ और किससे बात की थी और न ही उसने बताया था।

जी.

इस संबंध में मुझे।और उसी तारीख को यानी 28.04.2020 पर, लगभग 11 बजे।, एक पिता अपने गाँव गए।"

एच.

9. श्रीमती का पुलिस बयान। 'एक्स' (मृतक) की मां रानी तिवारी पुलिस द्वारा दर्ज करने आई। वही इस प्रकार पढ़ता हैः-

“15.08.2019 पर, मेरी बेटी श्रीमती 'X' ने मुझे बताया कि मैंने अपनी अवधि को याद किया और 07.07.2019 पर मैंने अमित तिवारी के साथ शारीरिक संबंध बनाए।मेरी बेटी ने मुझसे कहा कि वह अमित तिवारी से प्यार करती है और अमित मुझसे शादी करना चाहता है, मैं भी उससे शादी करना चाहता हूं और कृपया पिता को इसके बारे में न बताएँ।27.04.2020 पर, मेरी बेटी ने कहा कि वह पेट दर्द से पीड़ित है, तो भी मैंने अपने पति को कुछ नहीं बताया।फिर मैं अपने पति के साथ अपनी बेटी को इलाज के लिए बागड़ी स्थित हर्ष अस्पताल ले गया।हम लगभग 10 पर पहुँचेः30 एएम, हमने 'एक्स' को बेंच पर बैठा दिया।

बी.

सी.

10. श्रीमती का वक्तव्य। मजिस्ट्रेट ने मृतक की मां रानी तिवारी को भी सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज किया।वही इस प्रकार पढ़ता हैः-

“ ...अमित तिवारी मेरी बेटी को पिछले डेढ़ साल से जानते थे।मेरी बेटी ने मुझे 07.07.2019 पर बताया कि पिछले डेढ़ महीने से मुझे पीरियड्स नहीं हो रहे हैं और मैं अमित तिवारी के बच्चे को जन्म दे रही हूं।मेरी बेटी ने मुझे बताया कि वह और अमित तिवारी शादी करने की योजना बना रहे हैं।मैं उनकी शादी का प्रस्ताव लेकर अमित के घर गया, लेकिन अमित की मां ने मना कर दिया।28.04.2020 पर, 'X' ने अमित तिवारी के साथ एक फोन कॉल पर बातचीत की, जहाँ अमित अस्पताल आने के लिए तैयार हो गया।मैं और मेरे पति लगभग 11 बजेः00 ए. एम. अस्पताल से वापस आया।अमित तिवारी अस्पताल नहीं आए।जब मैं और मेरे पति लगभग 02 बजे अस्पताल पहुंचेः00 पी. एम. तब उन्हें पता चला कि 'एक्स' ने आत्महत्या कर ली है और यह मेरा बयान है।”

डी.

ई.

एफ.

11. प्रथम दृष्टया, उपरोक्त कथनों से निम्नलिखित स्पष्ट होता हैः

(क) स्कूल रिकॉर्ड इंगित करता है कि 'एक्स' (मृतक) का जन्म 20.07.2001 पर हुआ था;

जी.

(बी) मृतक की मां ने सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज अपने बयान में कहा है कि उन्हें उनकी बेटी (मृतक) ने 07.07.2019 पर सूचित किया था कि वह पिछले डेढ़ महीने से मासिक धर्म (मासिक धर्म) से चूक गई थी।

एच.

183

महेंद्र प्रसाद तिवारी बनाम अमित कुमार तिवारी और ए. एन. आर. [जे. बी. पारदीवाला, जे.] ए.

और आगे वह अमित तिवारी (आरोपी) के माध्यम से गर्भवती हुई थी;

(ग) 'एक्स' (मृतक) ने 20.07.2019 पर बहुमत प्राप्त किया;

(घ) जहां तक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत पुलिस द्वारा दर्ज मृतक की मां के बयान और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किए गए बयान का संबंध है, सही तारीख के संबंध में कुछ संघर्ष प्रतीत होता है।

बी.

12. जाँच पूरा होने पर जाँच एजेंसी ने ऊपर बताए गए अपराधों के लिए अभियुक्त (प्रतिवादी संख्या 1) के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया।

सी.

13. यह मामला विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो, जिला रीवा की न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विशेष न्यायाधीश ने दिनांक 18.12.2020 के आदेश के माध्यम से अभियुक्त के खिलाफ आरोप तय करने के लिए आगे बढ़े।आदेश का प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैः

डी.

“अभियोजन पक्ष की ओर से, वर्तमान आरोप पत्र आई. पी. सी. की धारा 376,306 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 5/6 के तहत दायर किया गया है और ए. डी. पी. ओ. द्वारा यह तर्क दिया गया था कि अभियुक्त के खिलाफ उपरोक्त धाराओं के तहत आरोप तय किए जाएं क्योंकि वर्तमान मामले में, इस संबंध में पर्याप्त सबूत उपलब्ध हैं।

ई.

इसके विपरीत, यह एल. डी. द्वारा तर्क दिया गया था। अभियुक्त के वकील ने कहा कि आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत अपराध अभियुक्त के खिलाफ आकर्षित नहीं करता है क्योंकि

मृतक के पिता मनेन्द्र तिवारी ने अपने बयानों में कहा है कि उनकी बेटी ने एक अवैध बच्चे को जन्म देने के परिणामस्वरूप सार्वजनिक शर्म के कारण फांसी लगा ली।इसी तरह, लड़की की माँ ने भी यह नहीं कहा है कि उसकी बेटी ने किसी की यातना या उत्पीड़न के कारण आत्महत्या की है।इस आशय का कोई अन्य साक्ष्य भी उपलब्ध नहीं है जिससे यह प्रतीत हो सके कि वर्तमान मामले में आई. पी. सी. की धारा 376 आकर्षित करती है।इसलिए, अभियुक्त को आई. पी. सी. की धारा306 के अपराध से मुक्त करने का अनुरोध किया गया।

एफ.

जी.

इसी तरह, यह भी तर्क दिया गया कि पॉक्सो अधिनियम की धारा 5/6 के तहत अपराध आरोपी के खिलाफ नहीं बनता है, क्योंकि घटना की तारीख को अभियोजक एक लड़की थी

एच.

184 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 13 एस. सी. आर.

18 वर्ष से अधिक आयु की और यदि 18 वर्ष से अधिक आयु की लड़की स्वेच्छा से शारीरिक संबंध स्थापित करती है, तो यह अपराध की श्रेणी में नहीं आता है।साक्ष्य में, यह तथ्य दर्ज किया गया है कि अभियुक्त और अभियोजक का विवाह संपन्न किया जाना था, इस स्थिति में आई. पी. सी. की धारा 376 भी आकर्षित नहीं करती है।इसलिए, यह भी प्रार्थना की गई कि दोनों धाराओं से उन्हें मुक्त कर दिया जाए।

बी.

समर्थन में, एम. अर्जुनन बनाम राज्य पुलिस निरीक्षक द्वारा प्रतिनिधित्व (2019) 3 एस. सी. सी. 315, मदनमोहन सिंह बनाम गुजरात राज्य और अन्य (2010) 8 एस. सी. सी. 628, द्वारिका सिंह ठाकुर बनाम एम. पी. राज्य के मामले कानून। सी. आर. एल., रेव. नहीं। 1678/2011 दिनांक 06.03.2013, भारत संघ बनाम प्रफुल्ल कुमार सांवाल (1979) 3 SCC 4, इंद्रपाल बनाम एम. पी. राज्य। (2001) 10 एस. सी. सी. 736, उदे सिंह बनाम हरियाणा राज्य (2019) 17 एस. सी. सी. 301, गजधर प्रसाद पटेल बनाम एम. पी. राज्य 2003 (1) एम. पी. एल. जे. 605, अजय पटौदिया बनाम एम. पी. राज्य। 2003 (4) एम. पी. एल. जे. 195, मंगलेश्वर सिंह बनाम एम. पी. राज्य 2003 (3) एम. पी. एल. जे. 44, बागदीराम बनाम एम. पी. राज्य। 2005 (40) एम. पी. एल. जे., विष्णु प्रसाद बनाम एम. पी. राज्य 2005 (3) एम. एल. पी. जे. 23, मडिया @महादेव बनाम एम. पी. राज्य 2006 (1) एम. पी. एल. जे. का निर्माण किया गया है।

सी.

डी.

दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार किया गया।उपरोक्त मामले के कानूनों का अध्ययन किया गया।

ई.

घटना के अनुसार, मृतक के पिता मनेन्द्र तिवारी ने पी. एस. चकघाट में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि 17 वर्षीय मृतक, जो उनकी बेटी है, वह उसे पेट दर्द की शिकायत के कारण इलाज के लिए हर्ष अस्पताल, चकघाट ले गया और इस तरह उसे दोपहर 4 बजे अस्पताल में भर्ती कराया, और उसने दोपहर 2 बजे एक बच्चे को जन्म दिया। 28.04.2020 पर, उसकी बेटी ने अस्पताल में अपने दुपट्टे के साथ फांसी लगा ली।उसने एक अवैध बच्चे को जन्म देने के कारण आत्महत्या कर ली है और उसे संदेह है कि उसकी बेटी का अवैध बच्चा आरोपी अमित तिवारी का है।

एफ.

जी.

उपरोक्त सूचना पर मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई।जाँच के दौरान, यह पाया गया कि आरोपी का मृतक के साथ प्रेम संबंध था, जैसा कि शिकायतकर्ता ए की धारा 16 Cr.P.C के तहत दिए गए बयानों से प्रतीत होता है।

एच.

185

महेंद्र प्रसाद तिवारी बनाम अमित कुमार तिवारी और ए. एन. आर. [जे. बी. पारदीवाला, जे.] ए.

मनेन्द्र तिवारी।उनके बयान में इस तथ्य का भी उल्लेख है कि मृत्यु से पहले उनकी बेटी ने उन्हें बताया था कि उन्होंने आरोपी से बात की थी, जिस पर उन्होंने कहा था कि वह चकघाट में एक कमरा लेकर मृतक के साथ रहेंगे और उनकी बेटी ने भी कहा था कि आप अस्पताल से जाएं, आरोपी वहां आएगा।इस तरह से, ऐसा प्रतीत होता है कि मृतक का आरोपी के साथ प्रेम संबंध था।धारा 307 के संबंध में, अभियोजन पक्ष का मामला है कि लड़की ने एक अवैध बच्चे को जन्म देने के परिणामस्वरूप अपराध के कारण आत्महत्या कर ली।आई. पी. सी. की धारा 107 के तहत, यह उपशमन के संबंध में प्रदान किया गया है और आई. पी. सी. की धारा 376 के अपराध के लिए, धारा 107 के तथ्यों को उद्धृत किया जाना चाहिए।यदि यह स्वीकार किया जाता है कि अभियुक्त अभियुक्त के बच्चे को जन्म दे रहा था और अवैध बच्चे को जन्म देने के कारण मृतक ने आत्महत्या कर ली, तो यह कहीं भी प्रतीत नहीं होता है कि उक्त आत्महत्या में अभियुक्त की ओर से क्या कमी है।

बी.

सी.

अभियुक्त की ओर से आई. पी. सी. की धारा306 के अपराध से उसे मुक्त करने के लिए जो मामला कानून पेश किए गए हैं, जिनका उल्लेख किया गया है, इस मामले में भी कानून में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि आई. पी. सी. की धारा306 के अपराध के लिए आई. पी. सी. की धारा 107 के तथ्यों को साबित किया जाना चाहिए।वर्तमान मामले में, इस आशय का कोई प्रथम दृष्टया सबूत पेश नहीं किया गया है कि आरोपी ने मृतक को आत्महत्या करने के लिए उकसाया, वास्तव में, अभियोजन पक्ष की कहानी के अनुसार, जब मृतक ने खुद आरोपी से फोन पर बात की, तो आरोपी ने कहा कि हम किराए पर कमरा लेकर एक साथ रहेंगे और उसने शादी से इनकार कर दिया।इस स्थिति में, केवल अभियोजन पक्ष द्वारा बताए जाने के कारण, जबकि ऐसा कोई आधार उपलब्ध नहीं है, तब अभियुक्त के खिलाफ आई. पी. सी. की धारा306 के तहत आरोप तय करने के लिए कोई आधार उपलब्ध नहीं है, इसलिए अभियुक्त को आई. पी. सी. की धारा306 के अपराध से मुक्त कर दिया जाता है।

डी.

ई.

एफ.

लेकिन, जहां तक आई. पी. सी. की धारा 376 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 5/6 के अपराध से मुक्त होने का सवाल है, इस संबंध में 18 वर्ष से कम आयु की लड़की के साथ यौन उत्पीड़न किया जाता है, तो पॉक्सो अधिनियम आकर्षित करता है और इसी तरह आई. पी. सी. की धारा 376 भी आकर्षित करती है।

जी.

बचाव पक्ष की पूरी दलील यह है कि घटना की तारीख पर अभियोजक 18 वर्ष से अधिक आयु की लड़की थी।

एच.

एहि कारणसँ उपरोक्त दुनू धारा सेहो आकर्षित नहि करैत अछि।

वर्तमान मामले में, अभियोजक की आयु के संबंध में प्रवेश रजिस्टर प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उसकी जन्म तिथि 20.07.2001 के रूप में उल्लिखित है।वर्तमान मामले में, 28.04.2020 को घटना की तारीख के रूप में इस कारण से उल्लेख किया गया है कि उपरोक्त तिथि पर, मृतक ने बच्चे को जन्म दिया और मृतक ने आत्महत्या कर ली, लेकिन, धारा 161 Cr.P.C के तहत दर्ज मृतक की मां का बयान वर्तमान मामले में संलग्न है, जिसमें, उसने कहा था कि 15.08.2019 पर, उसकी बेटी ने उसे बताया था कि 07.07.2019 पर, आरोपी ने अपनी बेटी के साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए थे।इस स्थिति में अभियुक्त ने मृतक के साथ आई.

डी. 1 पर शारीरिक संबंध स्थापित किए और उपरोक्त तिथि पर मृतक की आयु निश्चित रूप से 18 वर्ष से कम थी अर्थात उसकी आयु लगभग 17 वर्ष 11 महीने है।इस स्थिति में, इस तथ्य का कोई अर्थ नहीं है कि यदि 18 वर्ष से कम आयु की लड़की के साथ उसकी सहमति से या शादी के आश्वासन पर यौन संबंध बनाया जाता है, तो वास्तव में, पॉक्सो अधिनियम के तहत अपराध है। इसी तरह, यह भी आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत एक अपराध है। इस स्थिति में, अभियुक्त को आई. पी. सी. की धारा 376 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 5/6 के अपराध से मुक्त नहीं किया जाता है। इसलिए, उपरोक्त के संबंध में, प्रार्थना को इसके द्वारा खारिज कर दिया जाता है।

बी.

सी.

डी.

ई.

इसलिए, प्रथम दृष्टया आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 (1) और पॉक्सो अधिनियम की धारा 5 (ए) (ii)/6 के तहत आरोप तय करने के लिए पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं। इसलिए, उपरोक्त धाराओं के तहत आरोप तैयार किए गए और उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अभियुक्त को भेज दिया गया।अभियुक्त ने अपराध से इनकार किया।

एफ.

चूँकि अभियुक्त त्योंथर उप-कारागार में बंद है, इसलिए आरोप पत्र उप-कारागार, त्योंथर को उसके हस्ताक्षर के लिए भेजा जाना चाहिए और अभियुक्त के हस्ताक्षर लेने के बाद, उसे अभिलेखों में संलग्न किया जाना चाहिए।

जी.

परीक्षण कार्यक्रम के लिए 22.12.2020 पर रखें।"

14. अभियुक्त ने आपराधिक ए दायर करके आरोप तय करने वाले विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित उपरोक्त आदेश की वैधता और वैधता पर सवाल उठाया

एच.

187

महेंद्र प्रसाद तिवारी बनाम अमित कुमार तिवारी और ए. एन. आर. [जे. बी. पारदीवाला, जे.] ए.

2021 का पुनरीक्षण आवेदन संख्या 211 काफी हद तक इस आधार पर कि मृतक और अभियुक्त ने एक-दूसरे के लिए अंतरंगता विकसित की थी और एक रिश्ते में थे।घटना के समय

मृतक के नाबालिग होने को सहमति देने वाला पक्ष कहा जा सकता है और ऐसी परिस्थितियों में, विशेष न्यायालय आरोपी के खिलाफ बलात्कार का आरोप तय करने के लिए आगे नहीं बढ़ सकती थी।

बी.

15. उच्च न्यायालय ने अभियुक्त द्वारा दायर आपराधिक पुनरीक्षण आवेदन पर निर्णय दिया और दिनांक 02.12.2021 के विवादित निर्णय और आदेश के माध्यम से इसकी अनुमति दी। आदेश इस प्रकार हैः-

“आवेदक ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 401 सहपठित धारा 397 के तहत इस आपराधिक संशोधन को प्राथमिकता दी है, जिसमें विद्वान विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो, टियोंथर, जिला रीवा द्वारा विशेष मामला संख्या में पारित आदेश को रद्द करने की मांग की गई है।

सी.

डी.

दूसरी ओर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश उपाध्याय ने निचली न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणी की मुख्य रूप से इस आधार पर आलोचना की है कि मृतक की जन्म तिथि, उसके स्कूल के रिकॉर्ड के अनुसार 20.08.2001 थी और उसकी दर्ज की गई जन्म तिथि के अनुसार, उसने 20.08.2019 पर बहुमत प्राप्त किया है, जबकि उसने 27.04.2020 पर आठ महीने की गर्भावस्था के साथ एक बच्चे को जन्म दिया है और उसके अनुसार, यह स्पष्ट करता है कि शारीरिक संबंध विकसित करने की तारीख पर मृतक वयस्क था।वह प्रस्तुत करता है कि यह इंगित करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है कि वर्तमान आवेदक ने मृतक के साथ उसकी सहमति के बिना जबरन शारीरिक संबंध बनाए थे।वह आगे प्रस्तुत करता है कि यहां तक कि कोई आत्मघाती नोट भी नहीं है जिसमें मृतक ने खुद इस तथ्य का खुलासा किया था कि वर्तमान आवेदक ने उसकी सहमति के बिना उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे और इस तरह, वह बलात्कार की शिकार थी जैसा कि आईपीसी की धारा 375 के तहत परिभाषित किया गया है। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया है कि मृतक की मां द्वारा की गई शिकायत के आधार पर वर्तमान आवेदक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और यदि मृतक के माता-पिता के बयान देखे जाते हैं, तो कहीं भी ऐसा नहीं है।

ई.

एफ.

जी.

एच.

उसने खुलासा किया कि वर्तमान आवेदक ने मृतक के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए थे।वह प्रस्तुत करता है कि अन्यथा भी, यदि यह माना जाता है कि अपीलार्थी के खिलाफ जो कुछ भी आरोप लगाया गया है वह सही है, तो यह स्थापित नहीं होता है कि वर्तमान आवेदक द्वारा मृतक के साथ उसकी सहमति के खिलाफ शारीरिक संबंध बनाए गए थे।विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, मृतक के स्कूल रिकॉर्ड में दर्ज जन्म तिथि के अनुसार और आठ महीने की गर्भावस्था के बाद बच्चे को जन्म देने की तारीख को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि मृतक उस तारीख को बालिग था जब वह गर्भवती हुई थी।वह आगे प्रस्तुत करता है कि ऐसी परिस्थिति में, आई. पी. सी. की धारा 376 का मामला नहीं बनाया गया है और आरोप केवल इसलिए तैयार किया गया है क्योंकि निचली न्यायालय ने इस तथ्य को माना है कि मृतक के माता-पिता के बयान के अनुसार, वह नाबालिग थी।विद्वान अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि स्कूल रिकॉर्ड में दर्ज जन्म तिथि सबूत का एक भौतिक टुकड़ा है और जिसे मृतक की उम्र का पता लगाने के लिए खारिज नहीं विद्वान जा सकता है और इसलिए, विद्वान निचली न्यायालय ने आईपीसी की धारा 376 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 5/6 के आरोप को तैयार करने में त्रुटि की है।

बी.

सी.

डी.

दूसरी ओर प्रत्यर्थी/राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान पैनल वकील श्री देवेंद्र गैंगरेड ने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई दलीलों का विरोध विद्वान है और मृतक की मां का 161 से अधिक बयान पढ़ा है कि मृतक के साथ यौन कृत्य विद्वान गया था और उनके अनुसार, संबंधित समय पर मृतक की आयु 17 वर्ष थी।माँ के बयान से यह भी पता चलता है कि आवेदक और मृतक के बीच प्रेम-संबंध था और मृतक ने अपनी माँ से कहा कि वह आवेदक से शादी करना चाहती है।

ई.

एफ.

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री उपाध्याय के अनुसार, मृतक की मां का बयान इंगित करता है कि आवेदक और मृतक के बीच सहमति से शारीरिक संबंध विकसित हुए लेकिन अन्यथा नहीं। वह प्रस्तुत करता है कि अभियोजक की उम्र को उसके स्कूल रिकॉर्ड में दर्ज जन्म तिथि को नजरअंदाज करते हुए नहीं माना जा सकता है और अनुमान के आधार पर, आईपीसी की धारा 376 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 5/6 का अपराध नहीं बनाया गया है और आवेदक ए नहीं हो सकता है।

जी.

एच.

189

महेंद्र प्रसाद तिवारी बनाम अमित कुमार तिवारी और ए. एन. आर. [जे. बी. पारदीवाला, जे.] ए.

उक्त अपराधों के लिए आरोपित।उनके अनुसार, आई. पी. सी. की धारा 376 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 5/6 के तहत आरोप तय करने वाले निचली न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 1 का आदेश, इसलिए, कानून की नजर में टिकाऊ नहीं है और इसे अपास्त करना जा सकता है।

हालाँकि देरी के बारे में तथ्य का तर्क नहीं दिया गया है, लेकिन रिकॉर्ड के अवलोकन से।यह भी दर्शाता है कि मृत्यु के समय मृतक आठ महीने की गर्भवती थी, लेकिन समय पर प्राथमिकी और पुलिस में शिकायत नहीं की गई थी।मृतक के जीवनकाल में भी उसने पुलिस से संपर्क नहीं किया।मृतक की माँ द्वारा सुनाई गई कहानी देरी के आधार पर संदिग्ध प्रतीत होती है।

बी.

सी.

पक्षकारसभक लेल विद्वान अधिवक्ता द्वारा देल गेल तर्कसभ पर विचार करैत आ अभिलेखकेँ सावधानीपूर्वक अवलोकन करैत, हमर ई विचार अछि जे न्यायालय द्वारा पारित आदेश, जे एहि संशोधनमे आक्षेपित अछि, आई. पी. सी. क धारा 376 आ पॉक्सो अधिनियमक धारा 5/6 क अन्तर्गत आरोप तय करब टिकाऊ नहि अछि आ तदनुसार अपास्त करना कऽ देल गेल अछि। तदनुसार, आवेदक को विशेष मामला संख्या 156/2020 के माध्यम से बनाए गए अपराध के आरोप से मुक्त कर दिया जाता है।”

डी.

16. इस प्रकार उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त को पूरे अभियोजन पक्ष से आरोपमुक्त कर दिया गया था।

ई.

17. ऊपर उल्लिखित ऐसी परिस्थितियों में, मूल प्रथम सूचना देने वाला (मृतक का पिता) इस न्यायालय के समक्ष वर्तमान अपील के साथ है जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश की वैधता और वैधता पर सवाल उठाने की मांग की गई है।

एफ.

विश्लेषण

18. पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद और अभिलेख पर सामग्री को देखने के बाद, एकमात्र सवाल जो हमारे विचार के लिए आता है वह यह है कि क्या उच्च न्यायालय ने विवादित आदेश पारित करने में कोई त्रुटि की है।

जी.

19. इस स्तर पर यह ध्यान देना उचित है कि विवादित आदेश में, उच्च न्यायालय ने अभियुक्त की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता और राज्य की ओर से पेश हुए लोक अभियोजक द्वारा दी गई दलीलों को विस्तृत रूप से दर्ज किया है।मुख्य रूप से उच्च न्यायालय के समक्ष यह तर्क दिया गया था कि अपराध करने की तारीख को,

एच.

मृतक बालिग था और अपनी मर्जी से आरोपी के साथ संबंध रखता था।अभियुक्त के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि उसने कोई अपराध किया है जैसा कि आरोप लगाया गया है।आश्चर्य की बात यह है कि राज्य ने भी कुछ हद तक उच्च न्यायालय के समक्ष अभियुक्त की ओर से प्रचार किए गए निवेदन का समर्थन किया।ध्यान देने योग्य बात यह है कि यद्यपि उच्च न्यायालय ने मृतक की आयु के संबंध में प्रस्तुतियों को दर्ज करने के उद्देश्य से दो पूर्ण पैराग्राफ समर्पित किए हैं, फिर भी अंततः उच्च न्यायालय द्वारा उस संबंध में कोई विशिष्ट निष्कर्ष दर्ज नहीं किया गया है।उच्च न्यायालय पूरी तरह से एक अलग आधार पर आगे बढ़ा।उच्च न्यायालय ने इस आधार पर अभियुक्त को सभी आरोपों से मुक्त करना उचित समझा कि प्राथमिकी दर्ज करने में देरी हुई थी और मृतक के माता-पिता द्वारा प्रस्तुत किया गया पूरा मामला संदिग्ध था।

बी.

सी.

20. दोहराने की कीमत पर, हम कहते हैं कि उच्च न्यायालय का विवादित आदेश पूरी तरह से समझ से बाहर है।हमें अभी तक ऐसा मामला नहीं मिला है जिसमें उच्च न्यायालय ने प्राथमिकी दर्ज करने में देरी के आधार पर बलात्कार के अपराध के आरोपी को आरोपमुक्त करना उचित समझा हो।

डी.

21. कानून अच्छी तरह से तय है कि हालांकि यह उच्च न्यायालय के लिए खुला है जो निचली विचारण न्यायालय द्वारा बनाए गए आरोपों को रद्द करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा

482 के तहत एक याचिका या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 397 के तहत एक संशोधन आवेदन पर विचार कर सकता है, फिर भी यह सबूत की शुद्धता या पर्याप्तता का वजन करके नहीं किया जा सकता है।आरोप को निरस्त करने की प्रार्थना करने वाले मामले में, उच्च न्यायालय द्वारा अपनाया जाने वाला सिद्धांत यह होना चाहिए कि यदि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत पूरे साक्ष्य पर विश्वास किया जाना है, तो क्या यह एक अपराध होगा या नहीं।आरोप तय करने के समय उत्पादित सामग्री की सच्चाई, पर्याप्तता और स्वीकार्यता केवल परीक्षण के चरण में ही की जा सकती है।इसे और अधिक संक्षिप्त रूप से रखने के लिए, आरोप के स्तर पर न्यायालय को केवल इस दृष्टि से सामग्री की जांच करनी है कि आरोपी व्यक्ति के खिलाफ कथित अपराध करने का प्रथम दृष्टया मामला बनाया गया है।यह भी अच्छी तरह से तय किया गया है कि जब अभियुक्त द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत याचिका दायर की जाती है या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 401 सहपठित धारा 397 के तहत पुनरीक्षण याचिका दायर की जाती है, जिसमें उसके खिलाफ बनाए गए आरोप को रद्द करने की मांग की जाती है, तो न्यायालय को आदेश में तब तक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जब तक कि यह मानने के लिए मजबूत कारण न हों कि न्याय के हित में और न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग से बचने के लिए अभियुक्त के खिलाफ बनाए गए आरोप को रद्द करने की आवश्यकता है।इस तरह का आदेश केवल असाधारण मामलों और दुर्लभ अवसरों पर ही पारित किया जा सकता है।यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि एक बार निचली विचारण न्यायालय ने ए तैयार किया है।

ई.

एफ.

जी.

एच.

191

महेंद्र प्रसाद तिवारी बनाम अमित कुमार तिवारी और ए. एन. आर. [जे. बी. पारदीवाला, जे.] ए.

एक अभियुक्त के खिलाफ आरोप एक उच्च न्यायालय द्वारा अनावश्यक हस्तक्षेप के बिना मुकदमा आगे बढ़ना चाहिए और अभियोजन पक्ष के पूरे साक्ष्य को रिकॉर्ड पर रखा जाना चाहिए। अभियोजन पक्ष के पूरे साक्ष्य के रिकॉर्ड में आने से पहले किसी आरोपी द्वारा आरोप को रद्द करने के किसी भी प्रयास पर असाधारण मामलों के बिना विचार नहीं किया जाना चाहिए।[देखें

दिल्ली राज्य बनाम ज्ञान देवी, (2000) 8 एस. सी. सी. 239]

बी.

22. सी. आर. पी. सी. की धारा 397 के तहत हस्तक्षेप और अधिकार क्षेत्र के प्रयोग के दायरे को इस न्यायालय द्वारा बार-बार समझाया गया है।इसके अलावा, एक स्तर पर धारा 397 सी.

आर. पी. सी. के तहत हस्तक्षेप का दायरा, जब आरोप तय किया गया था, भी अच्छी तरह से तय किया गया है।आरोप तय करने के चरण में, न्यायालय का संबंध आरोप के सबूत से नहीं है, बल्कि उसे सामग्री पर ध्यान केंद्रित करना होगा और एक राय बनानी होगी कि क्या इस बात का दृढ़ संदेह है कि आरोपी ने कोई अपराध किया है, जो अगर मुकदमा चलाया जाए, तो उसका अपराध साबित हो सकता है।आरोप तय करना एक चरण नहीं है, जिस स्तर पर अपराध की अंतिम परीक्षा लागू की जानी है।इस प्रकार, यह अभिनिर्धारित करने के लिए कि आरोप तैयार करने के चरण में, अदालत को यह राय बनानी चाहिए कि अभियुक्त निश्चित रूप से अपराध करने का दोषी है, कुछ ऐसा अभिनिर्धारित करना है जो न तो अनुमेय है और न ही न्यायालय प्रक्रिया संहिता की योजना के अनुरूप है।

सी.

डी.

23. सी. आर. पी. सी. की धारा 397 न्यायालय को किसी मामले में की गई किसी भी कार्यवाही या आदेश की वैधता और नियमितता के बारे में खुद को संतुष्ट करने के उद्देश्यों के लिए एक निचली न्यायालय के रिकॉर्ड की मांग और जांच करने की शक्ति प्रदान करती है।इस प्रावधान का उद्देश्य पेटेंट दोष या अधिकार क्षेत्र या कानून की त्रुटि या कार्यवाही में आई विकृति को ठीक करना है।

ई.

24. अमित कपूर और रमेश चंदर**, (2012) 9** एस**.** सी**.** सी**. 460** में इस न्यायालय के फैसले का उल्लेख करना उपयोगी है**,** जिसमें धारा **397** सी**.** आर**.** पी**.** सी**.** के दायरे पर संक्षिप्त रूप से विचार किया गया है और समझाया गया है।पैरा **12** और **13** जवाब इस प्रकार हैं**:**

एफ.

“12. संहिता की धारा 397 न्यायालय को किसी मामले में की गई किसी भी कार्यवाही या आदेश की वैधता और नियमितता के बारे में खुद को संतुष्ट करने के उद्देश्यों के लिए एक निचली न्यायालय के रिकॉर्ड को बुलाने और जांच करने की शक्ति प्रदान करती है।इस प्रावधान का उद्देश्य पेटेंट दोष या अधिकार क्षेत्र या कानून की त्रुटि को ठीक करना है।एक अच्छी तरह से स्थापित त्रुटि होनी चाहिए और न्यायालय के लिए आदेशों की जांच करना उचित नहीं हो सकता है, जो इसके चेहरे पर सावधानी का संकेत देता है।

जी.

एच.

विचार करना और कानून के अनुसार प्रतीत होना।यदि कोई इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों पर गौर करता है, तो यह सामने आता है कि पुनरीक्षण संबंधी अधिकार क्षेत्र का उपयोग किया जा सकता है जहां चुनौती के तहत निर्णय पूरी तरह से गलत हैं, कानून के प्रावधानों का कोई अनुपालन नहीं है, दर्ज किया गया निष्कर्ष किसी भी सबूत पर आधारित नहीं है, भौतिक साक्ष्य की अनदेखी की जाती है या न्यायिक विवेक का मनमाने ढंग से या विकृत रूप से प्रयोग किया जाता है।ये संपूर्ण वर्ग नहीं हैं, बल्कि केवल सूचक हैं।प्रत्येक मामले का निर्धारण उसके गुण-दोष के आधार पर किया जाना चाहिए।

बी.

“13. एक अन्य सर्वमान्य मानन्यायालय यह है कि उच्च न्यायालय का पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र बहुत सीमित है और इसका नियमित तरीके से प्रयोग नहीं किया जा सकता है।अंतर्निहित प्रतिबंधों में से एक यह है कि यह एक अंतरिम या अंतर्वर्ती आदेश के खिलाफ नहीं होना चाहिए। न्यायालय को यह ध्यान रखना होगा कि पुनरीक्षण संबंधी अधिकार क्षेत्र के प्रयोग से ही प्रत्यक्ष रूप से अन्याय नहीं होना चाहिए।जहाँ न्यायालय इस प्रश्न पर विचार कर रहा है कि क्या आरोप ठीक से और किसी दिए गए मामले में कानून के अनुसार तैयार किया गया है, वह अपने पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में हस्तक्षेप करने के लिए अनिच्छुक हो सकता है जब तक कि मामला काफी हद तक वनों की श्रेणी में नहीं आता है।यहां तक कि आरोप तय करना भी सी. आर. पी. सी. के तहत कार्यवाही में एक बहुत उन्नत चरण है।

सी.

डी.

ई.

25. न्यायालय ने पैरा 27 में अपना निष्कर्ष दर्ज किया है और विशेष रूप से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 228 के तहत बनाए गए आरोप को रद्द करने के संदर्भ में धारा 397 के तहत अधिकार क्षेत्र के प्रयोग के लिए विचार किए जाने वाले सिद्धांतों को निर्धारित किया है। पैरा 27,27 (1), (2), (3), (9), (13) उत्तर निम्नानुसार निकाले गए हैंः

एफ.

“27. इन दो प्रावधानों, यानी संहिता की धारा 397 और धारा 482 के तहत अधिकार क्षेत्र के दायरे और अधिकार क्षेत्र के अंतर की बारीक रेखा पर चर्चा करने के बाद, अब हमारे लिए उन सिद्धांतों को सूचीबद्ध करना उचित होगा जिनके संदर्भ में अदालतों को ऐसी अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना चाहिए।हालाँकि, इस तरह के सिद्धांतों को सटीक रूप से बताना न केवल कठिन है, बल्कि स्वाभाविक रूप से असंभव है।इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के सर्वोत्तम और वस्तुनिष्ठ विश्लेषण पर, हम अधिकार क्षेत्र के उचित प्रयोग के लिए विचार किए जाने वाले कुछ सिद्धांतों को निकालने में सक्षम हैं, विशेष रूप से, संहिता की धारा 397 या धारा 482 के

तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए आरोप को रद्द करने के संबंध में या, जैसा भी मामला हो, एक साथः

जी.

एच.

193

महेंद्र प्रसाद तिवारी बनाम अमित कुमार तिवारी और ए. एन. आर. [जे. बी. पारदीवाला, जे.] ए.

ए.

27.1.यद्यपि संहिता की धारा 482 के तहत न्यायालय की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है, लेकिन जितनी अधिक शक्ति होगी, इन शक्तियों को लागू करने में उतनी ही अधिक सावधानी और सावधानी बरतनी होगी।आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की शक्ति, विशेष रूप से, संहिता की धारा 228 के संदर्भ में बनाए गए आरोप का उपयोग बहुत संयम और सावधानी के साथ किया जाना चाहिए और वह भी दुर्लभतम मामलों में।

बी.

27.2.न्यायालय को इस परीक्षण को लागू करना चाहिए कि क्या मामले के रिकॉर्ड और उसके साथ प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों से लगाए गए अनियंत्रित आरोप प्रथम दृष्टया अपराध को स्थापित करते हैं या नहीं।यदि आरोप इतने स्पष्ट रूप से बेतुके और स्वाभाविक रूप से असंभव हैं कि कोई भी विवेकपूर्ण व्यक्ति कभी भी इस तरह के निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता है और जहां आपराधिक अपराध के मूल तत्व संतुष्ट नहीं हैं तो न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है।

सी.

27.3.उच्च न्यायालय को अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।यह विचार करने के लिए कि क्या मामला दोषसिद्धि में समाप्त होगा या आरोप तय करने या आरोप को रद्द करने के चरण में नहीं, साक्ष्य की सावधानीपूर्वक जांच की आवश्यकता नहीं है।

डी.

एक्स

एक्स

एक्स

27.9.एक अन्य बहुत महत्वपूर्ण सावधानी जिसका न्यायालयों को अवलोकन करना है, वह यह है कि वे अभिलेख पर तथ्यों, साक्ष्यों और सामग्रियों की जांच नहीं कर सकते हैं ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या पर्याप्त सामग्री है जिसके आधार पर मामला दोषसिद्धि में समाप्त होगा; न्यायालय मुख्य रूप से उन आरोपों से संबंधित है जो समग्र रूप से लिए गए हैं कि क्या वे

एक अपराध का गठन करेंगे और यदि ऐसा है, तो क्या यह न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग है जो अन्याय की ओर ले जाता है।

ई.

एफ.

एक्स

एक्स

एक्स

27.13.आरोप को रद्द करना निरंतर अभियोजन के नियम का एक अपवाद है।जहाँ अपराध व्यापक रूप से भी संतुष्ट है, वहाँ न्यायालय को उस प्रारंभिक चरण में इसे रद्द करने के बजाय अभियोजन को जारी रखने की अनुमति देने के लिए अधिक इच्छुक होना चाहिए।न्यायालय से अपेक्षा नहीं की जाती है कि वह दस्तावेजों या अभिलेखों की स्वीकार्यता और विश्वसनीयता तय करने की दृष्टि से अभिलेखों का संचालन करे, लेकिन यह प्रथम दृष्टया बनाई गई राय है।"

जी.

26. चित्रेश कुमार चोपड़ा बनाम राज्य के मामले में यह न्यायालय

(एन**.** सी**.** टी**.** दिल्ली सरकार**), (2009) 16** एस**.** सी**.** सी**. 605** में सूचित**,** पैरा **25** में निम्नानुसार देखा गयाः**-**

एच.

"25. यह मामूली बात है कि आरोप तय करने के चरण में, न्यायालय को यह पता लगाने के लिए अभिलेख पर सामग्री और दस्तावेजों का मूल्यांकन करने की आवश्यकता होती है कि क्या उनसे उभरने वाले तथ्य, उनके अंकित मूल्य पर लिए जाने पर, कथित अपराध या अपराधों का गठन करने वाले सभी तत्वों के अस्तित्व का खुलासा करते हैं।इस सीमित उद्देश्य के लिए, न्यायालय साक्ष्य की छान-बीन कर सकती है क्योंकि प्रारंभिक चरण में भी यह उम्मीद नहीं की जा सकती है कि अभियोजन पक्ष जो कुछ भी कहता है उसे सुसमाचार सत्य के रूप में स्वीकार किया जाए।इस स्तर पर, न्यायालय को केवल यह पता लगाने के लिए सामग्री पर विचार करना होगा कि क्या यह "अनुमान लगाने" के लिए आधार है कि आरोपी ने अपराध किया है और इस निष्कर्ष पर पहुंचने के उद्देश्य से नहीं कि इससे दोषसिद्धि होने की संभावना नहीं है। (देखिएःनिरंजन सिंह करम सिंह पंजाबी और अन्य। बनाम जितेंद्र भीमराज बिजजा और अन्य, (1990) 4 एस. सी. सी. 76)।"

बी.

सी.

27. महाराष्ट्र राज्य बनाम सोमनाथ थापा (1996) 4 एस. सी. सी.

659, इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने "अनुमान" शब्द का अर्थ समझाया।उक्त शब्द के शब्दकोश अर्थों का उल्लेख करते हुए न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी कीः

डी.

“32. .....यदि अभिलेख की सामग्री के आधार पर, कोई न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँच सकता है कि अपराध करना एक संभावित परिणाम है, तो आरोप तय करने का मामला मौजूद है।इसे अलग तरह से रखने के लिए, यदि न्यायालय को लगता है कि अभियुक्त ने अपराध किया है तो वह आरोप तय कर सकता है, हालांकि दोषसिद्धि के लिए निष्कर्ष यह होना आवश्यक है कि अभियुक्त ने अपराध को कम कर दिया है।यह स्पष्ट है कि (1990) 4 एस. सी. सी. 76 में आरोप तय करने के चरण, अभिलेख पर सामग्री के संभावित मूल्य पर ध्यान नहीं दिया जा सकता है; अभियोजन पक्ष द्वारा अभिलेख पर लाई गई सामग्री को उस स्तर पर सही के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए।”

ई.

एफ.

28. जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, कानून की स्थिति को देखते हुए, उच्च न्यायालय के विवादित आदेश को विकृत और कानून में टिकाऊ नहीं कहा जा सकता है।हम अपराध के समय मृतक की सटीक और सही उम्र के संबंध में आगे कुछ भी देखने से बचते हैं जैसा कि आरोप लगाया गया है क्योंकि यह किसी न किसी तरह से पक्षों के लिए पूर्वाग्रह पैदा कर सकता है। अभियोजन पक्ष के साथ-साथ बचाव पक्ष के नेतृत्व में साक्ष्य के आधार पर सही उम्र का निर्धारण करना निचली विचारण न्यायालय का काम है।29. इस मुकदमे की एक और परेशान करने वाली विशेषता यह है कि मृतक के दुर्भाग्यपूर्ण पिता को इस न्यायालय ए के समक्ष आना पड़ा

जी.

एच.

न्याय की मांग करें।राज्य से उच्च न्यायालय द्वारा पारित अवैध आदेश को चुनौती देने की उम्मीद थी।कुछ अपवादों को छोड़कर, आपराधिक मामलों में जिस पक्ष को पीड़ित पक्ष माना जाता है, वह राज्य है जो बड़े पैमाने पर समुदाय के सामाजिक हितों का संरक्षक है और इसलिए यह राज्य का काम है कि वह उस व्यक्ति को लाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जिसने समुदाय के सामाजिक हितों के खिलाफ काम किया है।

बी.

पुस्तक [ठाकुर राम और अन्य बनाम बिहार राज्य (1966) देखें।

700)].फिर भी एक और परेशान करने वाली विशेषता यह है कि निचली विचारण न्यायालय ने आरोपी के खिलाफ आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत दंडनीय कथित अपराध यानी आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए आरोप तय नहीं करना उचित समझा।दुर्भाग्य से, किसी ने भी निचली विचारण न्यायालय के आदेश के उस हिस्से पर सवाल नहीं उठाया है जो आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत दंडनीय आत्महत्या के लिए उकसाने के कथित अपराध के लिए आरोप तय करने से इनकार कर रहा है। ऐसी परिस्थितियों में हम इस संबंध में आगे कुछ नहीं कहते हैं।

सी.

30. हम पाते हैं कि मृतक की उम्र के बारे में उच्च न्यायालय का निष्कर्ष और साक्ष्य का समय से पहले मूल्यांकन होने के अलावा प्राथमिकी दर्ज करने में देरी के संबंध में भी गलत आधार के लिए जिम्मेदार है, जिस पर उच्च न्यायालय का तर्क आधारित है।

डी.

31. पूर्वगामी कारणों से, यह अपील सफल होती है और इसके द्वारा इसकी अनुमति दी जाती है।उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश को इसके द्वारा अपास्त करना कर दिया जाता है। निचली विचारण न्यायालय अब दिनांक 18.12.2020 के आरोप तय करने के आदेश के अनुसार आरोपी पर मुकदमा चलाने के लिए आगे बढ़ेगी।

ई.

32. यह स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है कि इस निर्णय में हमारी टिप्पणियां प्रथम दृष्टया और केवल उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्वहन आदेश की वैधता और वैधता तय करने के उद्देश्य से प्रासंगिक हैं।अभियुक्त के अपराध या निर्दोषता का निर्धारण विचारण विचारण न्यायालय द्वारा मुकदमे के दौरान दिए जाने वाले साक्ष्य के अनुसार सख्ती से किया जाएगा।

एफ.

33. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का भी निपटारा कर दिया जाता है।

अंकित ज्ञान

अपील की अनुमति दी गई।

जी.

(सहायकः राहुल राठी, एलसीआरए)

एच.